भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 374
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लखपति दीदी योजना

374. श्री गिरिधारी यादव:
श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्रीमती लवली आनंद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखपति दीदी योजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने लाभार्थी शामिल हैं; और
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितने स्वयं सहायता समूह शामिल हैं और सरकार द्वारा अब तक उन्हें राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): लखपति दीदी योजना केंद्र प्रायोजित योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का परिणाम है, इसे मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) की साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है , इसका उद्देश्य देश में गरीब ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण परिवारों को उनके सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है। अब तक, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत देश में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.90 लाख एसएचजी में संगठित किया गया है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है , ताकि वे स्थायी आधार पर प्रतिवर्ष न्यूनतम एक लाख रुपये की आय अर्जित कर सकें , जिसमें कम से कम 4 कृषि मौसमों और /या व्यावसायिक चक्रों में औसत मासिक आय न्यूनतम 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) हो। अब तक 1,48,32,258 स्व-सहायता समूह परिवारों की महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग): लखपति दीदी योजना में स्व-सहायता समूह (एसएचजी) पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से एसएचजी महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हालाँकि, नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व सामुदायिक संस्थागत संरचनाएँ , अर्थात् एसएचजी, ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) ही करते हैं। एसएचजी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए एक संरचना आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए एसएचजी महिलाओं में वित्तीय साक्षरता , कौशल विकास और सरकारी विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने के साथ-साथ उद्यम संबंधी क्षमता का निर्माण करना भी है।

लखपति दीदी योजना के लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। लखपति दीदी योजना की सभी गतिविधियाँ , जैसे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण , प्रारंभिक पूंजी सहित वित्तीय सहायता , डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत वित्तपोषित हैं। अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं के लिए , स्व-सहायता समूह के सदस्यों को बैंक लिंकेज और बैंक ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती

है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एनआरएलएम के राज्य /संघ राज्य क्षेत्रवार बजट का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

''लखपति दीदी योजना'' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 374 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लखपति दीदी बनने की स्वयं घोषणा करने वालों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	411
2	आंध्र प्रदेश	17,41,362
3	अरुणाचल प्रदेश	7,680
4	असम	5,58,829
5	बिहार	14,47,750
6	छत्तीसगढ	4,32,303
7	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	1,872
8	गोवा	1,556
9	गुजरात	6,06,805
10	हरियाणा	58,577
11	हिमाचल प्रदेश	82,176
12	जम्मू और कश्मीर	52,203
13	झारखंड	4,81,940
14	कर्नाटक	2,54,698
15	केरल	4,12,441
16	लद्दाख	51,736
17	लक्षद्वीप	-
18	मध्य प्रदेश	12,84,957
19	महाराष्ट्र	22,69,981
20	मणिपुर	13,302
21	मेघालय	44,324
22	मिजोरम	17,161
23	नगालैंड	11,000
24	ओडिशा	7,80,996
25	पुदुचेरी	7,238
26	पंजाब	31,191
27	राजस्थान	4,27,865
28	सिक्किम	7,847
29	तमिलनाडु	5,63,242
30	तेलंगाना	8,00,407
31	त्रिपुरा	61,478
32	उत्तर प्रदेश	11,15,982
33	उत्तराखंड	43,266
34	पश्चिम बंगाल	11,59,682
	कुल	**1,48,32,258**

अनुबंध- II

''लखपति दीदी योजना'' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 374 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध II

एनआरएलएम (वित्त वर्ष 2025-26) (30.6.2025 तक) (लाख रुपये में)			
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**केंद्रीय आवंटन**	**जारी केंद्रीय राशि**
1	आंध्र प्रदेश	41406.07	
2	बिहार	168858.74	42214.69
3	छत्तीसगढ़	37504.59	9376.15
4	गोवा	1200.00	300.00
5	गुजरात	26718.87	
6	हरियाणा	15719.20	3929.54
7	हिमाचल प्रदेश	6619.94	1654.99
8	जम्मू एवं कश्मीर	8180.53	2045.13
9	झारखंड	63669.70	15917.43

10	कर्नाटक	53601.35	
11	केरल	24050.76	
12	मध्य प्रदेश	80345.40	
13	महाराष्ट्र	105956.75	26489.19
14	ओडिशा	81188.62	20297.16
15	पंजाब	7639.36	1909.84
16	राजस्थान	40701.29	
17	तमिलनाडु	62763.55	15690.89
18	तेलंगाना	29575.76	
19	उत्तर प्रदेश	243100.19	
20	उत्तराखंड	12799.38	3199.85
21	पश्चिम बंगाल	90224.95	22556.24
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	950.00	
23	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	700.00	
24	लक्षद्वीप	400.00	
25	लद्दाख	1000.00	
26	पुदुचेरी	2400.00	600.00
27	अरुणाचल प्रदेश	10076.47	2519.12
28	असम	51535.06	
29	मणिपुर	17552.57	
30	मेघालय	19665.38	4916.35
31	मिजोरम	4550.69	1137.68
32	नगालैंड	13489.47	3372.37
33	सिक्किम	5038.24	1259.57
34	त्रिपुरा	31692.12	
	कुल	**1360875.00**	**179386.19**